न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 937/2024

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. अनुपसिंह पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
2. धापी देवी पत्नी हरदेवाराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः –08/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 184/52 की कुल 0.0380 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 52/52 की कुल 1.4800 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 52/52 के प0न0 374/383 मु0न0 102 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से किला न0 19 की 0.1265 हैक्ट भूमि, किला न0 25/2 की 0.1265 हैक्ट भूमि में से 0.0383 हैक्ट भूमि में से अनुपसिंह पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर को बैय कर दिया है एवं मुताबिक बैयनामा के अनुसार किला न0 19 की 0.0380 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय पटवार हल्का द्वारा प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19 की 0.0380 हैक्ट भूमि दर्ज कर अनुप सिंह का खाता का अलग कर दिया एवं शेष रकबा वादी व उसकी माता माता धापी देवी के खाते में बदस्तुर रहा एवं वर्तमान में डिजिटाईल्ड कैडस्ट्रल मैप एवं ऑनलाईन नक्शे मे प0न0 374/383 मु0न0 102 किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट उत्तरी तरफ, प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/2 की 0. 215 हैक्ट भूमि दक्षिणी तरफ तरमीम कर रखा है जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है।

रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट भूमि साईज 82.5 गुणा 50 फुट उत्तरी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं किला न0 19/2 की 0.2[illegible] भूमि 165 गुणा 25 फुट तरमीम करते समय पटवारी हल्का द्वारा उत्तरी दिशा मे 165 [illegible] हिस्सा काट दिया गया लेकिन मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 किला न0 19 में उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम [illegible] फुट व उत्तर से दक्षिण 50 फुट पर कब्जा है इसलिए वादी रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट भूमि में से उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 82.5 फुट व उत्तर से दक्षिण 50 फुट के अनुसार नक्शा तरमीम कर संशोधित किया जावे इसी अनुसार वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वाद भूमि का नक्शा तरमीम करवाकर संशोधन करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2075–78 रोही मौजा 6 जेएसएन खाता स0 184/52 व 52/52, नजरी नक्शा पेश किये जो की शामिल मिलस किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 52/52 के प0न0 374/383 मु0न0 102 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से किला न0 19 की 0.1265 हैक्ट भूमि, किला न0 25/2 की 0.1265 हैक्ट भूमि में से 0.0383 हैक्ट भूमि में से अनुपसिंह पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर को बैय कर दिया है एवं मुताबिक बैयनामा के अनुसार किला न0 19 की 0.0380 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय पटवार हल्का द्वारा प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19 की 0.0380 हैक्ट भूमि दर्ज कर अनुप सिंह का खाता का अलग कर दिया एवं शेष रकबा वादी व उसकी माता माता धापी देवी के खाते में बदस्तुर रहा एवं वर्तमान में डिजिटाईल्ड कैडस्ट्रल मैप एवं ऑनलाईन नक्शे मे प0न0 374/383 मु0न0 102 किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट उत्तरी तरफ, प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/2 की 0.215 हैक्ट भूमि दक्षिणी तरफ तरमीम कर रखा है जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट भूमि साईज 82.5 गुणा 50 फुट उत्तरी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं किला न0 19/2 की 0.215 हैक्ट भसूमि 165 गुणा 25 फुट तरमीम करते समय पटवारी हल्का द्वारा उत्तरी दिशा में 165 गुणा 25 फुट हिस्सा काट दिया गया लेकिन मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 किला न0 19 में उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 82.5 फुट व उत्तर से दक्षिण 50 फुट पर कब्जा है इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट भूमि में से उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 82.5 फुट व उत्तर से दक्षिण 50 फुट के अनुसार नक्शा तरमीम कर संशोधित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात बादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/तरमीम संशाधन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 184/52 की कुल 0.0380 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 52/52 की कुल 1.4800 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 52/52 के प0न0 374/383 मु0न0 102 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से किला न0 19 की 0.1265 हैक्ट भूमि, किला न0 25/2 की 0.1265 हैक्ट भूमि में से 0.0383 हैक्ट भूमि में से अनुपसिंह पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर को बैय कर दिया है एवं मुताबिक बैयनामा के अनुसार किला न0 19 की 0.0380 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय पटवार हल्का द्वारा प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19 की 0.0380 हैक्ट भूमि दर्ज कर अनुप सिंह का खाता का अलग कर दिया एवं शेष रकबा वादी व उसकी माता माता धापी देवी के खाते में बदस्तुर रहा एवं वर्तमान में डिजिटाईल्ड कैडस्ट्रल मैप एवं ऑनलाईन नक्शे मे प0न0 374/383 मु0न0 102 किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट उत्तरी तरफ, प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/2 की 0.215 हैक्ट भूमि दक्षिणी तरफ तरमीम कर रखा है जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट भूमि साईज 82.5 गुणा 50 फुट उत्तरी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं किला न0 19/2 की 0.215 हैक्ट भसूमि 165 गुणा 25 फुट तरमीम करते समय पटवारी हल्का द्वारा उत्तरी दिशा में 165 गुणा 25 फुट हिस्सा काट दिया गया लेकिन मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 किला न0 19 में उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 82.5 फुट व उत्तर से दक्षिण 50 फुट पर कब्जा है इसलिए वादी रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट भूमि में से उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 82.5 फुट व उत्तर से [illegible] 50 फुट के अनुसार नक्शा तरमीम कर संशोधित किया जावे, वादी के [illegible] द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष [illegible] की किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट भूमि का नक्शा उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम (82.5 फुट व उत्तर से दक्षिण 50 फुट) तरमीम व संशोधन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 937/2024
अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अनुपसिंह पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
2. धापी देवी पत्नी हरदेवाराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 937 सन 2024 निर्णय दिनांक -08/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 374/383 मु0न0 102 के किला न0 19/1 की 0.0380 हैक्ट भूमि का नक्शा उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम (82.5 फुट व उत्तर से दक्षिण 50 फुट) तरमीम व संशोधन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested